मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1534
04 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

बेघर लोगों के संबंध में सर्वेक्षण

1534. श्री राम नाथ ठाकुर :
क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में कितने लोगों के पास अपना घर नहीं है;
(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों के पास अपना घर नहीं है;
(घ) उक्त सर्वेक्षण का मानदंड क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा उन सभी को अपना घर प्रदान करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है; और
(च) उपर्युक्त लक्ष्य को हासिल करने के दिशा में प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' के सरकार के विज़न के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के व्यक्तियों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] कार्यान्वित कर रहा है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की असल मांग का पता लगाने के लिए स्कीम के अंतर्गत मांग सर्वेक्षण किया है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक सूचित वैध मांग लगभग 112 लाख है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है ।

जनगणना-2011 के अनुसार, देश में कुल बेघर जनसंख्या 17,73,040 (शहरी - 9,38,348 और ग्रामीण - 8,34,692) है ।

(घ) से (च): पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पात्रता मापदंड निम्नानुसार हैं:

(i) एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियां शामिल हैं।

(ii) एक लाभार्थी परिवार में पति/पत्नी के नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश के किसी भी भाग में पक्का आवास (सभी मौसमानुकूल आवासीय इकाई) नहीं होना चाहिए ।

(iii) इसके अतिरिक्त, 30 वर्ग मीटर तक की मौजूदा आवास इकाइयों में विस्तार के लिए ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जिनके पास 21 वर्ग मीटर से कम का निर्मित क्षेत्र है । तथापि**,** यदि भूमि/स्थान की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से विस्तार संभव नहीं है**,** तो उसे पीएमएवाई (यू) के तहत कहीं और आवास मिल सकता है।

(iv) एक वयस्क कमाऊ सदस्य (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) को एक अलग परिवार माना जा सकता है;

- बशर्ते उसके नाम पर भारत के किसी भी भाग में पक्का (सभी मौसमानुकूल आवासीय इकाई) आवास नहीं है ।
- बशर्ते यह भी कि विवाहित जोड़े के मामले में, दोनों में से कोई एक या संयुक्त स्वामित्व में दोनों स्कीम के अंतर्गत परिवार की आय संबंधी पात्रता (ईडब्ल्यूएस - 3,00,000 रू. तक, एलआईजी- 3,00,001 रू. से 6,00,000 रू. तक, एमआईजी-I - 6,00,001 रू. से 12,00,000 रू. तक और एमआईजी-II - 12,00,001 रू. से 18,00,000 रू. तक) के अधीन एकल आवास के पात्र होंगे ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, लगभग 112 लाख की वैध मांग के लिए पीएमएवाई (यू) के तहत कुल 103,61,738 आवास संस्वीकृत किए गए हैं; जिनमें से 61,57,734 निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं और 32,15,926 पूर्ण/सौंपे जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च/अप्रैल, 2020 तक संस्वीकृत आवासों की शेष मांग के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि वर्ष 2022 तक सभी आवासों का निर्माण प्रगतिशील रूप से पूर्ण किया जा सके ।

दिनांक 04.03.2020 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1534 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत आवासों की राज्य/संघ राज्य-वार वैध मांग

क्र. सं०.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की मांग (सं0 लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	20.70
2	बिहार	4.00
3	छत्तीसगढ़	2.54
4	गोवा	0.05
5	गुजरात	7.65
6	हरियाणा	3.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.15
8	झारखंड	2.00
9	कर्नाटक	7.00
10	केरल	1.50
11	मध्य प्रदेश	8.50
12	महाराष्ट्र	11.75
13	उड़ीसा	3.00
14	पंजाब	1.00
15	राजस्थान	3.00
16	तमिलनाडु	8.30
17	तेलंगाना	3.00
18	उत्तर प्रदेश	15.00
19	उत्तराखंड	0.50
20	पश्चिम बंगाल	4.71
उप-कुल (राज्य) :-		**107.35**
21	अरूणाचल प्रदेश	0.12
22	असम	1.30
23	मणिपुर	0.46
24	मेघालय	0.07
25	मिज़ोरम	0.31
26	नागालैंड	0.32
27	सिक्किम	0.02
28	त्रिपुरा	0.85
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य) :-		**3.44**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	0.01
30	चंडीगढ़ (यूटी)	0.04

31	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	0.05
32	दमन और दीव (यूटी)	0.01
33	दिल्ली (एनसीआर)	0.79
34	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	0.40
35	लद्दाख (यूटी)	0.02
36	लक्ष्द्वीप (यूटी)	-
37	पुडुचेरी (यूटी)	0.15
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र) :-		**1.46**
कुल योग		**112.24**

*****